क्रम संख्या–136 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 ई0

अग्रहायण 26, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 341 / XXXVI (3) / 2021 / 79(1) / 2021

देहरादून, 17 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021'** पर दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 26 वर्ष, 2021** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) अधिनियम, 2021

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26, वर्ष 2021)

उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्याः 06 वर्ष 2020) (समय–समय पर यथासंशोधित) को निरसित करने के लिये तथा संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम, 1939(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त)(समय–समय पर यथासंशोधित) को पुनर्जीवित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो;–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2020 का निरसन

2. उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या : 06 वर्ष 2020) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसित अधिनियम का पुनर्जीवन

3. संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1939) को एतदद्वारा पुनर्जीवित किया जाता है।

निरसन और व्यावृतियां

4. ऐसे निरसन के होते हुए भी––

(क) निरसित अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या किसी अधिकारी द्वारा सभी नियम, उपविधियां, बनाये गये विनियम, अधिसूचना या जारी प्रमाण पत्र, पारित आदेश, किए गये निर्णय, की गयी कार्रवाई और अन्य बातें जहां तक वह इस अधिनियम के असंगत न हों, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन समुचित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा जारी, पारित या किये गये समझे जायेंगे और तदनुसार जब तक अधिनियम के उपबंधों के अधीन उन्हें संशोधित, निरसित या निलंबित न किया जाय, प्रभावी रहेंगे।

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर निरसित अधिनियम के उपबंधों के अधीन सरकार, किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष समस्त लंबित कार्यवाहियां जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से निस्तारित किये जायेंगे।

आज्ञा से,

महेश चन्द्र कौशिवा,
अपर सचिव।

उद्देश्य व कारणों का कथन

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन अधिनियम, 2019 का निरसन किया जाना आवश्यक है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

सतपाल महाराज
मंत्री।